



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032021-225931
CG-DL-E-16032021-225931

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1133]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 16, 2021/फाल्गुन 25, 1942

No. 1133]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 16, 2021/PHALGUNA 25, 1942

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(भूमि तथा विकास कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2021

का.आ. 1221(अ).—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भूमि तथा विकास कार्यालय के दिनांक 15.07.2019 की अधिसूचना सं. ए-42021/23/2017-प्रशा.(एल एंड डी ओ)/629 के अधिक्रमण में, केंद्र सरकार एतद्वारा श्री दिवाकर कुमार वर्णवाल, उप भूमि तथा विकास अधिकारी – (VI) और श्री सुजीत कुमार मिश्र, उप भूमि तथा विकास अधिकारी – (I) जो भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, को उपर्युक्त अधिनियम, के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो लोक परिसरों के संबंध में अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उपर्युक्त अधिनियम के तहत/के द्वारा सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों, जिनका वर्णन नीचे किया गया है, का प्रयोग करेंगे एवं सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेंगे:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	लोक परिसर तथा क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमा
1.	श्री दिवाकर कुमार वर्णवाल, उप भूमि तथा विकास अधिकारी – (VI), भूमि तथा विकास कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।	नजूल भूमि/पुनर्वास कॉलोनियों से संबंधित परिसर जो भूमि तथा विकास कार्यालय (एल एंड डी ओ), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के क्षेत्राधिकार तथा प्रशासनिक नियंत्रण में हैं, जिन्हें पट्टा अनुभागों (लीज-I, लीज-II-ए, लीज-II-बी, लीज-IV, लीज-V) तथा सम्पत्ति अनुभागों (पीएस-I, पीएस-II, पीएस-III, आर.

		पी. सैल एवं प्रवर्तन अनुभाग में डील किया जाता है।
2.	श्री सुजीत कुमार मिश्र, उप भूमि तथा विकास अधिकारी – (I), भूमि तथा विकास कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।	नजूल भूमि/पुनर्वास कॉलोनियों से संबंधित परिसर जो भूमि तथा विकास कार्यालय (एल एंड डी ओ), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के क्षेत्राधिकार तथा प्रशासनिक नियंत्रण में हैं, जिन्हें पट्टा अनुभाग-III में डील किया जाता है तथा भूमि के अस्थायी आबंटन से संबंधित मामले

[फा. सं. ए-42021/23/2017-प्रशा.(एल एंड डी ओ)]

डी. थारा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(LAND AND DEVELOPMENT OFFICE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2021

S.O. 1221(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Housing and Urban Affairs, Land and Development Office No. A-42021/23/2017-Admn. (L&DO)/629 dated 15.07.2019, the Central Government hereby appoints Shri Diwakar Kumar Barnwal, Dy. L&DO(VI) and Shri Sujit Kumar Mishra, Dy. L&DO(I), being Gazetted Officers of Government of India, to be the Estate officers for the purpose of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed on an Estate Officer by or under the said Act within the local limits of his/her jurisdiction in respect of Public Premises as detailed below:

S. No.	Name and Designation of the Officer	Public Premises and local limits of jurisdiction
1.	Shri Diwakar Kumar Barnwal, Dy. L&DO(VI) Land & Development Office, Nirman Bhawan, New Delhi	Premises relating to Nazul Lands/ Rehabilitation colonies under the jurisdiction and Administrative control of L&DO, Ministry of Housing and Urban Affairs, New Delhi being dealt with in Lease Section (L-I, L-IIA, L-IIB, L-IV, L-V) Property Sections (PS-I, PS-II, PS-III, RP Cell and Enforcement Section.
2.	Shri Sujit Kumar Mishra, Dy. L&DO(I) Land & Development Office, Nirman Bhawan, New Delhi	Premises relating to Nazul Lands/Rehabilitation Colonies under the Jurisdiction and Administrative Control of L&DO, Ministry of Housing & Urban Affairs, New Delhi being dealt with in Lease-III Section & Matters relating to temporary allotment of land.

[F. No. A - 42021/23/2017-Admn. (L&DO)/]

D. THARA, Jt. Secy.